CONFLICT OF INTEREST POLICY

हितों के टकराव की नीति

DVMS & Sabka Ghar Ashram
Dausa, Rajasthan, India

Effective Date:01.12.2016
Approved By: Governing Body/Executive Committee, DVMS

1. उद्देश्य

दीप विद्या मंदिर समिति (DVMS) एवं सबका घर आश्रम अपने सभी कार्यों में **ईमानदारी, निष्पक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही** बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

हितों का टकराव तब उत्पन्न हो सकता है जब किसी कर्मचारी, पदाधिकारी, शासी निकाय सदस्य, स्वयंसेवक, सलाहकार या संगठन से जुड़े अन्य व्यक्ति के व्यक्तिगत, पारिवारिक, वित्तीय या अन्य हित संगठन के हितों या उनके आधिकारिक कर्तव्यों को प्रभावित कर सकते हैं।

इस नीति का उद्देश्य:

- हितों के वास्तविक, संभावित और प्रतीत होने वाले टकराव की पहचान करना;
- ऐसे टकराव का समय पर Disclosure सुनिश्चित करना;
- निर्णय लेने की प्रक्रिया में निष्पक्षता बनाए रखना;
- व्यक्तिगत लाभ के लिए संगठन की स्थिति या संसाधनों के दुरुपयोग को रोकना;
- Procurement, Recruitment, Finance, Partnerships और अन्य निर्णयों में पारदर्शिता सुनिश्चित करना;
- संगठन एवं Donor/CSR Funds की सुरक्षा करना;
- संगठन में नैतिक आचरण को बढ़ावा देना।

2. नीति का दायरा

यह नीति संगठन से जुड़े सभी व्यक्तियों पर लागू होगी, जिनमें शामिल हैं:

- शासी निकाय के सदस्य;
- कार्यकारिणी समिति के सदस्य;
- संगठन के पदाधिकारी;
- वरिष्ठ प्रबंधन;
- सभी कर्मचारी;
- Project/Programme Staff;
- Finance एवं Accounts Staff;
- Procurement एवं Administration Staff;
- Volunteers;
- Interns एवं Trainees;
- Consultants;

निदेशक
दीप विद्या मन्दिर समिति
दौसा (राज.) 303303

दीप विद्या मन्दिर समिति दौसा (राज.) मान्यता प्राप्त रजि. न.- 45/32-03 303303

- Contractors एवं Service Providers, जहाँ लागू हो;
- संगठन की ओर से निर्णय लेने या प्रतिनिधित्व करने वाले अन्य व्यक्ति।

3. हितों के टकराव की परिभाषा

हितों का टकराव (Conflict of Interest) ऐसी स्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत, पारिवारिक, वित्तीय, व्यावसायिक या अन्य हित उसके संगठनात्मक कर्तव्यों, निर्णयों या जिम्मेदारियों को प्रभावित कर सकते हैं या ऐसा प्रतीत हो सकता है कि वे प्रभावित कर रहे हैं।

हितों का टकराव आवश्यक रूप से गलत कार्य नहीं है। समस्या तब उत्पन्न होती है जब ऐसे हित का **Disclosure नहीं किया जाता** या व्यक्ति उस हित से प्रभावित निर्णय में अनुचित रूप से भाग लेता है।

4. हितों के टकराव के प्रकार

4.1 वास्तविक हितों का टकराव

जब व्यक्ति का व्यक्तिगत या वित्तीय हित सीधे उसके संगठनात्मक निर्णय को प्रभावित करता है।

4.2 संभावित हितों का टकराव

जब वर्तमान स्थिति भविष्य में हितों के टकराव का कारण बन सकती है।

4.3 प्रतीत होने वाला हितों का टकराव

जब परिस्थितियां ऐसी हों कि किसी बाहरी व्यक्ति को उचित रूप से यह लग सकता है कि व्यक्ति का व्यक्तिगत हित उसके निर्णय को प्रभावित कर रहा है, भले ही वास्तविक प्रभाव न हो।

5. हितों के टकराव के सामान्य उदाहरण

हितों का टकराव निम्नलिखित परिस्थितियों में उत्पन्न हो सकता है:

- संगठन का Supplier किसी कर्मचारी का परिवार का सदस्य हो;
- किसी कर्मचारी या पदाधिकारी का किसी Vendor में वित्तीय हित हो;
- किसी कर्मचारी का किसी Applicant/Candidate के साथ निकट व्यक्तिगत संबंध हो;
- किसी कर्मचारी का किसी Contractor या Consultant से निजी व्यावसायिक संबंध हो;
- संगठन के निर्णय से किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत आर्थिक लाभ प्राप्त हो;
- संगठन की संपत्ति या संसाधनों का निजी लाभ के लिए उपयोग किया जाए;
- किसी कर्मचारी को Supplier से व्यक्तिगत लाभ या उपहार प्राप्त हो;
- किसी Board Member या कर्मचारी के स्वामित्व वाली संस्था को संगठन का Contract दिया जाए;
- किसी कर्मचारी के निजी व्यवसाय और संगठन के बीच ऐसा संबंध हो जो उसके निर्णय को प्रभावित कर सकता हो।

निदेशक
दीप विद्या मन्दिर समिति
दौसा (राज.) 303303

दीप विद्या मन्दिर समिति दौसा (राज.) मान्यता प्राप्त रजि. न.- 45/32-03 303303

6. परिवार एवं संबंधित व्यक्तियों से संबंधित हित

किसी व्यक्ति के हितों में आवश्यकता अनुसार उसके निकट संबंधियों के हित भी शामिल माने जा सकते हैं।

निकट संबंधियों में परिस्थितियों के अनुसार शामिल हो सकते हैं:

- पति/पत्नी;
- माता-पिता;
- बच्चे;
- भाई/बहन;
- अन्य निकट पारिवारिक सदस्य।

यदि किसी Procurement, Recruitment, Contract या अन्य निर्णय में संबंधित व्यक्ति का पारिवारिक हित है, तो इसका उचित Disclosure किया जाना चाहिए।

7. वित्तीय हित

किसी संगठन-संबंधित निर्णय में भाग लेने वाले व्यक्ति को अपने ऐसे वित्तीय हितों का Disclosure करना चाहिए जो निर्णय को प्रभावित कर सकते हैं।

इसमें शामिल हो सकते हैं:

- किसी Supplier/Contractor में Ownership;
- Shares या Investment;
- Partnership;
- Commission Arrangement;
- Business Relationship;
- Financial Benefit;
- अन्य महत्वपूर्ण आर्थिक हित।

8. खरीद एवं Procurement प्रक्रिया में हितों का टकराव (Conflict of Interest in Procurement)

Procurement प्रक्रिया में शामिल किसी व्यक्ति को यदि किसी Supplier/Vendor से व्यक्तिगत, पारिवारिक या वित्तीय संबंध है, तो उसे तुरंत संबंधित अधिकारी को सूचित करना होगा।

ऐसे व्यक्ति को आवश्यकता अनुसार:

- Quotation प्राप्त करने;
- Vendor Evaluation;
- Comparative Statement;
- Supplier Selection;
- Contract Approval;
- Payment Approval

निदेशक
दीप विद्या मन्दिर समिति
दौसा (राज.) 303303

दीप विद्या मन्दिर समिति दौसा (राज.) मान्यता प्राप्त रजि. न.- 45/32-03 303303

की प्रक्रिया से अलग किया जाएगा।

Procurement से संबंधित निर्णय निष्पक्ष एवं दस्तावेजीकृत होना चाहिए।

यह प्रावधान संगठन की **Procurement Policy** के साथ पढ़ा जाएगा।

9. भर्ती प्रक्रिया में हितों का टकराव (Conflict of Interest in Recruitment)

Recruitment प्रक्रिया में शामिल व्यक्ति को यदि किसी Candidate के साथ व्यक्तिगत या पारिवारिक संबंध है, तो उसे इसका Disclosure करना होगा।

ऐसे व्यक्ति को आवश्यकता अनुसार:

- Candidate की Shortlisting;
- Interview;
- Selection;
- Salary Negotiation;
- Appointment Decision

में भाग नहीं लेना चाहिए।

Selection योग्यता, अनुभव और पद की आवश्यकताओं के आधार पर किया जाएगा।

10. वित्तीय निर्णयों में हितों का टकराव (Conflict of Interest in Financial Decisions)

किसी वित्तीय निर्णय में शामिल व्यक्ति को व्यक्तिगत लाभ की स्थिति होने पर Disclosure करना होगा।

उदाहरण:

- किसी संबंधित Vendor को Payment Approval;
- संबंधित व्यक्ति के Expense Claim की Approval;
- संबंधित संस्था को Grant/Contract;
- किसी संबंधित व्यक्ति के साथ Financial Transaction।

जहाँ आवश्यक हो, स्वतंत्र अधिकारी द्वारा निर्णय एवं Approval किया जाएगा।

11.उपहार एवं आतिथ्य (Gifts & Hospitality)

किसी कर्मचारी, पदाधिकारी या संगठन से जुड़े व्यक्ति को ऐसा Gift, Hospitality या अन्य लाभ स्वीकार नहीं करना चाहिए जो उसके निर्णय को प्रभावित कर सकता है या ऐसा प्रतीत हो सकता है।

विशेष रूप से प्रतिबंधित हैं:

निदेशक
दीप विद्या मन्दिर समिति
दौसा (राज.) 303303

दीप विद्या मन्दिर समिति दौसा (राज.) मान्यता प्राप्त रजि. न.- 45/32-03 303303

- Cash Gifts;
- Cash-equivalent Benefits;
- Commission;
- Kickbacks;
- Personal Financial Benefits;
- Procurement Decision के बदले Gifts।

छोटे एवं सामान्य Courtesy Gifts की अनुमति संगठन की अन्य लागू नीतियों के अनुसार हो सकती है, बशर्ते वे निर्णय को प्रभावित करने के उद्देश्य से न हों।

12. संगठन के संसाधनों का व्यक्तिगत उपयोग

संगठन की निम्नलिखित संपत्तियों एवं संसाधनों का व्यक्तिगत लाभ के लिए अनधिकृत उपयोग नहीं किया जाएगा:

- संगठन के Funds;
- Vehicles;
- Equipment;
- Office Facilities;
- Information;
- Data;
- Staff Time;
- Organizational Name;
- Donor Resources;
- अन्य संगठनात्मक संसाधन।

13. बाहरी रोजगार एवं व्यवसाय

संगठन से जुड़े व्यक्ति को किसी बाहरी नौकरी, व्यवसाय, Consultancy या अन्य गतिविधि में शामिल होने से पहले यह सुनिश्चित करना चाहिए कि:

- इससे उसके संगठनात्मक कर्तव्य प्रभावित न हों;
- संगठन के Confidential Information का उपयोग न हो;
- संगठन के समय या संसाधनों का अनधिकृत उपयोग न हो;
- संगठन के साथ हितों का टकराव न हो।

जहाँ वास्तविक या संभावित Conflict हो, वहाँ Management को Disclosure किया जाना चाहिए।

निदेशक
दीप विद्या मन्दिर समिति
दौसा (राज.) 303303

दीप विद्या मन्दिर समिति दौसा (राज.) मान्यता प्राप्त रजि. न.- 45/32-03 303303

14. प्रकटीकरण की जिम्मेदारी (Responsibility for Disclosure)

प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वह किसी वास्तविक, संभावित या प्रतीत होने वाले Conflict of Interest की जानकारी समय पर दे।

Disclosure:

- लिखित रूप में;
- Conflict of Interest Declaration Form के माध्यम से;
- Email;
- Management को लिखित सूचना;
- अन्य अधिकृत माध्यम

से किया जा सकता है।

15. हितों के टकराव की घोषणा (Conflict of Interest Declaration)

संगठन आवश्यकता अनुसार कर्मचारियों, Board Members एवं अन्य संबंधित व्यक्तियों से नियमित रूप से **Conflict of Interest Declaration** प्राप्त कर सकता है।

Declaration में व्यक्ति से पूछा जा सकता है कि:

- क्या उसका किसी Vendor/Supplier में हित है;
- क्या उसके परिवार का कोई सदस्य संगठन के Supplier/Contractor से जुड़ा है;
- क्या उसका कोई बाहरी Business Interest है;
- क्या उसका कोई अन्य संबंध संगठन के निर्णयों को प्रभावित कर सकता है।

16. हितों के टकराव का प्रबंधन

Conflict का Disclosure होने के बाद संगठन परिस्थितियों के अनुसार निम्नलिखित कदम उठा सकता है:

- व्यक्ति को निर्णय प्रक्रिया से अलग करना;
- किसी अन्य व्यक्ति को निर्णय की जिम्मेदारी देना;
- Independent Review कराना;
- अतिरिक्त Approval लेना;
- उचित Documentation करना;
- संबंधित Transaction की निगरानी करना;
- आवश्यकता होने पर Contract/Arrangement को रोकना या समाप्त करना।

निदेशक
दीप विद्या मन्दिर समिति
दौसा (राज.) 303303

दीप विद्या मन्दिर समिति दौसा (राज.) मान्यता प्राप्त रजि. न.- 45/32-03 303303

17. Conflict की समीक्षा (Review of Conflict of Interest)

Disclosure प्राप्त होने पर Management या अधिकृत समिति यह निर्धारित कर सकती है कि:

- क्या वास्तविक Conflict मौजूद है;
- क्या Potential Conflict है;
- क्या Perceived Conflict महत्वपूर्ण है;
- क्या व्यक्ति को निर्णय प्रक्रिया से हटाना आवश्यक है;
- क्या कोई अन्य नियंत्रण लागू करना आवश्यक है।

निर्णय उचित रूप से दस्तावेजीकृत किया जा सकता है।

18. संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन (Related Party Transactions)

यदि संगठन किसी ऐसे व्यक्ति, संस्था या Vendor के साथ Transaction करता है जिसमें किसी Board Member, कर्मचारी या उनके निकट संबंधी का महत्वपूर्ण हित है, तो इसे उचित रूप से Disclose किया जाएगा।

ऐसे Transactions:

- पारदर्शी;
- उचित;
- संगठन के हित में;
- उचित मूल्य पर;
- आवश्यक Approval के साथ

होने चाहिए।

जहाँ आवश्यक हो, संबंधित व्यक्ति निर्णय लेने की प्रक्रिया से अलग रहेगा।

19. शासी निकाय के सदस्यों की जिम्मेदारी

Board/Governing Body Members को संगठन के महत्वपूर्ण निर्णयों से पहले अपने संबंधित हितों का Disclosure करना चाहिए।

यदि किसी Board Member का किसी Agenda Item में Conflict है, तो:

- Conflict को Meeting में घोषित किया जाएगा;
- Meeting Minutes में इसे दर्ज किया जा सकता है;
- संबंधित सदस्य को Discussion/Decision से अलग किया जा सकता है;
- आवश्यक होने पर मतदान से अलग रखा जाएगा।

निदेशक
दीप विद्या मन्दिर समिति
दौसा (राज.) 303303

दीप विद्या मन्दिर समिति दौसा (राज.) 303303 मान्यता प्राप्त रजि. न.- 45/32-03

20. गोपनीयता

Conflict of Interest से संबंधित जानकारी को उचित गोपनीयता के साथ संभाला जाएगा।

जानकारी केवल उन व्यक्तियों के साथ साझा की जाएगी जिन्हें निर्णय, Review, Audit, Compliance या अन्य वैध संगठनात्मक उद्देश्य के लिए इसकी आवश्यकता है।

21. गैर-प्रतिशोध (Non-Retaliation)

जो व्यक्ति सद्भावना में Conflict of Interest का Disclosure करता है या किसी संभावित Conflict की रिपोर्ट करता है, उसके विरुद्ध प्रतिशोध या उत्पीड़न स्वीकार नहीं किया जाएगा।

Good Faith में की गई रिपोर्ट के कारण किसी व्यक्ति के साथ अनुचित व्यवहार नहीं किया जाएगा।

22. जानबूझकर Disclosure न करना

यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर महत्वपूर्ण Conflict of Interest को छिपाता है या गलत जानकारी देता है, तो संगठन उचित कार्रवाई कर सकता है।

कार्रवाई की गंभीरता परिस्थितियों के अनुसार निर्धारित की जाएगी।

23. उल्लंघन पर कार्रवाई

इस नीति के उल्लंघन की पुष्टि होने पर संगठन निम्नलिखित कार्रवाई कर सकता है:

- Counseling;
- Written Warning;
- Conflict से संबंधित निर्णय को पुनःReview करना;
- संबंधित व्यक्ति को निर्णय प्रक्रिया से हटाना;
- Financial Benefit की Recovery;
- Procurement/Financial Authority वापस लेना;
- Disciplinary Action;
- Employment/Engagement समाप्त करना;
- Contract समाप्त करना;
- आवश्यकता होने पर कानूनी कार्रवाई।

निदेशक
दीप विद्या मन्दिर समिति
दौसा (राज.) 303303

दीप विद्या मन्दिर समिति दौसा (राज.) मान्यता प्राप्त रजि. न.- 45/32-03 303303

24. Procurement, Financial एवं Anti-Corruption Policies से संबंध

यह नीति संगठन की अन्य संबंधित नीतियों के साथ मिलकर लागू की जाएगी, विशेष रूप से:

- Procurement Policy;
- Financial Management Policy;
- Anti-Bribery and Anti-Corruption Policy;
- HR Policy;
- Rules of Governance/Governance Policy।

जहाँ Conflict of Interest से संबंधित मामला Bribery, Fraud या Corruption से जुड़ा हो, वहाँ संबंधित Anti-Bribery and Anti-Corruption Policy भी लागू होगी।

25. प्रशिक्षण एवं जागरूकता

संगठन आवश्यकता अनुसार कर्मचारियों, Board Members एवं अन्य संबंधित व्यक्तियों को Conflict of Interest के संबंध में Orientation/Awareness प्रदान करेगा।

नई नियुक्ति के समय कर्मचारियों को इस नीति के बारे में जानकारी दी जा सकती है।

26. अभिलेखों का रख-रखाव (Record Keeping)

Conflict of Interest से संबंधित:

- Declarations;
- Disclosures;
- Approvals;
- Review Notes;
- Committee Decisions;
- Register Entries;
- संबंधित Correspondence

को सुरक्षित रखा जाएगा।

27. निगरानी एवं समीक्षा (Monitoring and Review)

Management समय-समय पर Conflict of Interest व्यवस्था की समीक्षा करेगा।

समीक्षा में शामिल हो सकते हैं:

- प्राप्त Disclosures;
- Related Party Transactions;
- Procurement Conflicts;
- Recruitment Conflicts;
- Financial Conflicts;

निदेशक
दीप विद्या मन्दिर समिति
दौसा (राज.) 303303

दीप विद्या मन्दिर समिति दौसा (राज.) मान्यता प्राप्त रजि. नं.- 45/32-03 303303

- Policy Compliance l

28. नीति की समीक्षा एवं संशोधन

इस नीति की समय-समय पर समीक्षा की जाएगी।

विशेष रूप से समीक्षा की जाएगी यदि:

- लागू कानून या नियमों में परिवर्तन हो;
- Donor/CSR Requirements में परिवर्तन हो;
- संगठन की संरचना में परिवर्तन हो;
- Audit या Review में महत्वपूर्ण मुद्दे सामने आएं;
- संगठन की Operational Requirements बदलें।

इस नीति में संशोधन **शासी निकाय / कार्यकारिणी समिति** द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

30. अनुमोदन

यह **Conflict of Interest Policy / हितों के टकराव की नीति** दीप विद्या मंदिर समिति (DVMS) एवं Sabka Ghar Ashram के **शासी निकाय / कार्यकारिणी समिति** द्वारा समीक्षा एवं अनुमोदन के पश्चात संगठन में लागू की गई है।

अनुमोदित द्वारा: Director with the concurrence of all Board members.

पद: Director

हस्ताक्षर:

निदेशक
दीप विद्या मन्दिर समिति
दौसा (राज.) 303303

दिनांक: 01.12.2016

संगठन की मुहर:

